पत्रांक : 3864 / आयु0क0उत्तरा0 / प्रवर्तन–अनु0 / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2015

/ / विज्ञप्ति / /

(धारा 43(8) / धारा 48(10) / धारा 48क(7) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 43(8), धारा 48(10), धारा 48क(7) के अन्तर्गत जारी पूर्व विज्ञप्तियों को एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 43(7), धारा 48(9) एवं धारा 48क(6) के अन्तर्गत, सचल दल इकाई में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में क्रमशः धारा 43(8), धारा 48(10), धारा 48क(7) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, जिनके पास सम्बन्धित सचल दल का क्षेत्राधिकार है, को प्राधिकृत किया जाता है; तथा

अधिनियम की धारा 43(7), धारा 48(9) एवं धारा 48क(6) के अन्तर्गत, सचल दल इकाई में तैनात अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में क्रमशः धारा 43(8), धारा 48(10), धारा 48क(7) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उस सम्भाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन), वाणिज्य कर, जिनके सम्भाग में माल / वाहन का प्रथम बार निरीक्षण / जांच किया गया हो, को प्राधिकृत किया जाता है।

यह विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / रुद्रपुर।
6– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून / ऋषिकेश / हरिद्वार / रूड़की / काशीपुर / बाजपुर / रूद्रपुर / खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, दे0दून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9– आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 गार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
13– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।